राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

फा0 सं0 02/07/2020/एस–1/35 दिनांक 09.04..2020

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि भारत सरकार ने ''कोविड–19'' के खतरे को रोकने के लिए 25 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 मध्य रात्रि तक पूरे भारत में लॉकडाउन को अधिसूचित किया है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का क्षेत्र शामिल है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को उचित उपाय करने के लिए समय–समय पर विभिन्न आदेश/निर्देश जारी किए हैं।

और जबकि, दिल्ली में कोविड –19 महामारी के प्रकोप के कारण, इस संक्रामक बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए रोगग्रस्त व्यक्तियों वाले क्षेत्रों का नियमित सैनिटाजेशन सर्वोपरि है।

और जबकि, यात्रा इतिहास के साथ–साथ कोविड–19 रोग से संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले बड़ी संख्या में स्पर्शोन्मुख व्यक्तियों को या तो सरकार द्वारा स्थापित क्वारंटीन केंद्रों में क्वारंटीन किया गया है या अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है। उनकी बस्तियों के आसपास के क्षेत्रों का नियमित कीटाणुशोधन करना भी समय की आवश्यकता है।

अब, इसलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सभी स्लम क्षेत्रों, जेजे क्लस्टर, हॉटस्पॉट कमजोर क्षेत्रों आदि के साथ–साथ संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा स्थापित/अधिसूचित/संगोष्ठी केंद्र/क्वारंटीन सैन्टर/आइसोलेशन जोनों/कन्टेन्टमेंट जोनों के आसपास नियमित आधार पर कीटाणुनाशक सैनेटाइजेशन करने हेतु व्यापक

और विभिन्न कार्य करने के लिये अध्यक्ष (नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्), आयुक्त (दक्षिण दिल्ली नगर निगम/पूर्व दिल्ली नगर निगम /उत्तर दिल्ली नगर निगम) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड को निर्देश दिये हैं। इसके अलावा, दिल्ली अग्निशमन सेवा संबंधी जिलों के मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित ऐसे क्षेत्रों को भी सैनेटाइज/कीटाणुरहित करेगी।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली.

सेवा में,

1. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
2. आयुक्त (दक्षिण दिल्ली नगर निगम/पूर्व दिल्ली नगर निगम/उत्तर दिल्ली नगर निगम)।
3. सीईओ दिल्ली छावनी बोर्ड।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. निदेशक, दिल्ली अग्निशमन सेवा।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. अपर मुख्य सचिव (गृह), दिल्ली।
5. आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
6. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, दिल्ली।
7. सचिव (स्वा0 एवं परि0 कल्या0 विभाग), दिल्ली।
8. सचिव, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यापक प्रचार हेतु।
9. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।